

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 49/2012 (राजसमन्द डिक्री)

1. उदयराम पिता प्रताप जी कुमावत, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भेरूलाल पिता वेणा जी कुमावत, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती केसी बेवा वेणा जी कुमावत, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता तारूलाल जी दशोरा, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :-
- 1/1. शम्भूलाल पिता भंवरलाल जी दशोरा, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 1/2. योगेश पिता भंवरलाल जी दशोरा, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 1/3. सुशीला पिता भंवरलाल जी दशोरा, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 1/4. लाली उर्फ उषा पिता भंवरलाल जी दशोरा, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 1/5. सरोजदेवी पिता भंवरलाल जी पत्नी पुरुषोत्तमलाल जी दशोरा, निवासी मालीखेड़ा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
- 1/6. गुड्डी उर्फ पुष्पा पिता भंवरलाल जी पत्नी ललित शंकर जी दशोरा, निवासी मकान नंबर 10, दशोरों की गली, मोती चोहट्टा, उदयपुर।
2. रामलाल पिता पेमा जी कुम्हार, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

3. शंकर पिता पेमा जी कुम्हार, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. अम्बालाल पिता परथु जी कुम्हार, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. पन्नालाल पिता परथु जी कुम्हार, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. उदा पिता प्रताप जी माली, निवासी पनोतिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. भगवानलाल पिता उदयराम जी कुमावत, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. शान्तिलाल पिता उदयराम जी कुमावत, निवासी बैटुम्बी, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोंडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध
निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा, दिनांक 16-04-2010
प्रकरण संख्या 123/2010 वाद पत्र

-----::-----

उपस्थित (वक्तबहस) 1- श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण

2- एस. के. मेहता अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 6

-----::-----

निर्णय

दिनांक 16-11-2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी/अपीलान्ट व अन्य रेस्पोंडेन्टगण के विरुद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बैटुम्बी में आराजी चाह नंबर 952 रकबा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा है। आराजी चाह नंबर 952 अब बिना आबपाश का हो गया है, जिससे यह चाह नंबर 951 जो प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारियों के स्वामित्व एवं आधिपत्य में था। प्रतिवादीगण

के पूर्वाधिकारियों ने इस आराजी में नया चाह खुदवाया उसमें वादी को स्वत्व देते हुए बिल एवज 2750/- रूपये में विक्रय कर दिया। वादी के स्वामित्व के आराजी नंबर 905, 906 व 907 की सिंचाई हेतु वादी ने नये कुएं में पानी को खरीदा तभी से इस कुएं से वादी के खेतों की सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने के लिए पाईप लाईन प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी नंबर 951 में जमीन के अन्दर गाड दी। इस प्रकार वादी उक्त कुएं के 1/2 हिस्से का मालिक होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मन में बदनियती आ जाने से बाधा उत्पन्न करते हैं। अतएवं आराजी नंबर 951 में खोदे गये कुएं में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रकरण में खण्डन का विस्तृत जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा वादी के स्वत्व व खातेदारी की भूमि होने एवं सिंचाई होने इत्यादि का निषेध किया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकियात भी कायम की गयी तथा प्रकरण वादी की साक्ष्य में विचाराधीन था। इसी दौरान दिनांक 30-03-2010 को उभयपक्षों के वकीलों ने राजीनामा होने की संभावना जाहिर की तथा दिनांक 29-03-2010 के राजीनामे पर न्यायालय में दिनांक 16-04-2010 को उभयपक्षों की उपस्थिति में आदेशिका पर हस्ताक्षर होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद डिक्री करते हुए हस्ब राजीनामा एवं अन्य पक्षकारों का भी स्वत्व घोषित किया तथा स्थाई निषेधाज्ञा का भी आदेश पारित किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय 16-04-2010 से रूष्ट होकर अपीलान्त/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17-09-2012 को पेश की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्त को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। उनसे राजीनामा यह कहकर करवाया गया कि इस कुएं में अपीलान्त का 3/4 हिस्सा रहेगा एवं वादीगण का 1/4 हिस्सा रहेगा। अपीलान्त को राजीनामे की ईबारत पढ़कर नहीं समझायी गयी। अपीलान्त ने कुएं पर विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होने पर पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उन्हें

उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अपील देरी से पेश करने का पर्याप्त एवं उचित कारण है। तार्ईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में राजीनामा दिनांक 29-03-2010 पर अपीलान्त एवं उनके अधिवक्तागणों के हस्ताक्षर हैं तथा न्यायालय आदेशिका पर भी हस्ताक्षर हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजीनामें के आधार पर डिक्री किया गया है तथा न्यायालय आदेशिका पर स्पष्ट रूप से पक्षकारों द्वारा राजीनामे पर हस्ताक्षर किये गये हैं। यदि उनके अधिवक्ताओं द्वारा उन्हें राजीनामें की ईबारत नहीं समझायी गयी है तो उनके द्वारा अधिवक्तागणों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, इस बाबत् कोई कथन पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतएवं यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्त के राजीनामें पर धोखा-धड़ी पूर्वक हस्ताक्षर करवाये गये हैं। राजीनामा होने के करीब 2½ वर्षों बाद अपील प्रस्तुत करने हेतु हुए विलम्ब का जो आधार लिया है वह न तो उचित है न ही पर्याप्त। तदनुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 6 की ओर से वकील श्री एस. के. मेहता उपस्थित हुए, शेष रेस्पोंडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्त ने वाद राजीनामें के आधार पर डिक्री नहीं होने तथा धोखा-धड़ी से हस्ताक्षर करवाये जाने आदि के तथ्य लेते हुए अपील पेश की है।

→ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद राजीनामें के आधार पर डिक्री किया गया है तथा उस राजीनामें पर अपीलान्तगण के विधिक सलाहकार एवं स्वयं अपीलान्तगण के भी हस्ताक्षर हैं तथा न्यायालय आदेशिका पर भी सभी के हस्ताक्षर हैं। उक्त राजीनामें के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में लाई नहीं होती है। जहां तक राजीनामें की विधिकता का प्रश्न है, राजस्व न्यायालय की उक्त बिन्दु पर क्षेत्राधिकारिता नहीं है, इस बाबत् सक्षम न्यायालय से ही चाराजोही कर दाद पायी जा सकती है, जैसाकि कि वकील रेस्पोंडेन्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीर ए.आई.आर. 2011 पेज

66, ए.आई.आर. 2011 पेज 64 एवं ए.आई.आर. 1970 पेज 176 में प्रतिपादित सिद्धान्तों से भी सुस्पष्ट है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्त की अपील प्रथम दृष्टया बेरुन मयाद है तथा राजीनामा डिक्री के विरुद्ध अपील इस न्यायालय में पेश की गयी जिसकी विधकता नहीं है, न ही इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

अतएवं अपील अपीलान्त बेरुन मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16-04-2010 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 16-11-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

उदयराम पिता प्रताप जी कुमावत, बनाम भंवरलाल के बजाय शम्भुलाल दशोरा,
निवासी बैतुम्बी, तहसील रेलमगरा, निवासी बैतुम्बी, तहसील रेलमगरा,
जिला राजसमन्द व अन्य जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....49/2012.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....रेलमगरा..... मुकाम.....मुवर्खे.....16.....माह.....04.....2010

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....16.....माह.....11.....सन् 2017 रुबरू.....पक्षकारान
व हाजरी...श्री अक्षय पालीवाल...मिनजानिब अपीलान्त वश्री एस. के. मेहता.....

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्त
बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का
निर्णय व डिक्री दिनांक 16-04-2010 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....16.....माह.....11.....2017
को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।